बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
आदेश

संख्या-11/आ04-1036/2025- 1495 पटना, दिनांक- 28/7/26

CGRC Portal पर लंबित शिकायतों के निष्पादन की समीक्षा मुख्यालय स्तर पर दिनांक-02.12.2025 को की गयी। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी के बेनीपट्टी प्रशाखा अन्तर्गत कुल 218 अदद शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें 184 अदद शिकायतों का निष्पादन किया गया एवं शेष 34 अदद शिकायतें लंबित पायी गयी। पूर्व से निष्पादित शिकायतों में से 85 अदद शिकायतों को Reopen किया गया था, जो उक्त तिथि तक लंबित थी। एक से अधिक बार Reopen किये गये शिकायतों की संख्या 51 अदद थी। इसके अतिरिक्त 85 अदद शिकायतों का निष्पादन विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के पश्चात किया गया था।

02. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में CGRC पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का ससमय निष्पादन नहीं करने की दशा में बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता एवं बिहार सरकारी सेवक नियमावली के नियम-3(1)(i), 3(1)(ii), 3(1)(iii) का उल्लंघन करने के आरोप में श्री प्रकाश चन्द्र प्रभाकर, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी, प्रशाखा-बेनीपट्टी के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुये विभागीय पत्रांक-403, दिनांक-16.02.2026 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री प्रभाकर के पत्रांक-शून्य, दिनांक-20.03.2026 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

03. प्राप्त स्पष्टीकरण में श्री प्रभाकर द्वारा अपने स्तर से संवेदकों को लंबित शिकायतों का निराकरण हेतु निदेशित किये जाने एवं सहायक अभियंता से भी संवेदकों की लापरवाही के दृष्टिगत कार्रवाई की अनुशंसा किये जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु शिकायतों का सात दिनों से ज्यादा अवधी तक लंबित रहने से स्पष्ट होता है कि श्री प्रभाकर द्वारा शिकायतों के निराकरण में कोई ठोस प्रयास नहीं करते हुए संवेदक को पत्राचार कर मात्र खानापूर्ति किया गया है, जो उनके कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

04. उक्त वर्णित स्थिति में श्री प्रभाकर के विरूद्ध बिहार सरकारी संवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया। एतदर्थ उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री मनोज कुमार, मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार आनंद, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

Order/Tinku ji

05. आरोपित श्री प्रकाश चन्द्र प्रभाकर, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी, प्रशाखा-बेनीपट्टी सम्प्रति कनीय अभियंता, पदस्थापन की प्रतीक्षा में, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर जाँच संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप के संबंध में अपना लिखित बचाव-बयान समर्पित करेंगे।

06. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति अनुलग्नक सहित श्री प्रकाश चन्द्र प्रभाकर, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी, प्रशाखा-बेनीपट्टी सम्प्रति कनीय अभियंता, पदस्थापन की प्रतीक्षा में, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/जाँच संचालन पदाधिकारी श्री मनोज कुमार, मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, श्री धर्मेन्द्र कुमार आनंद, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी को दी जाय।

ह०/-
(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

ज्ञापांक-11/आ04-1036/2025-
पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-आरोप पत्र की प्रति के साथ जाँच संचालन पदाधिकारी श्री मनोज कुमार, मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार आनंद, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी तथा श्री प्रकाश चन्द्र प्रभाकर, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी, प्रशाखा-बेनीपट्टी सम्प्रति कनीय अभियंता, पदस्थापन की प्रतीक्षा में, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

ज्ञापांक-11/आ04-1036/2025- 1495
पटना, दिनांक- 28/7/26

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)/(कार्य प्रबंधन)/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, दरभंगा अंचल, दरभंगा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/7/26

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

27-7-26

Order/Tinku ji